मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः21.04.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत हत्या एवं चोरी की घटना के अभियोग में 02 आरोपियों को करायी गई आजीवन कारावास एवं ₹ 60-60 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीयूष मोर्डिया-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व आर.पी.सिंह-पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर घर में घुसकर चोरी एवं हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,कक्ष सं0-01(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹ 60-60 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः16.03.2016 को वादिनी जया सिंह पत्नी अमितेन्दु सिंह निवासी देवर्षिनगर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरुद्ध प्रार्थिनी की बड़ी बहन डा0मीना सिंह पुत्री स्व0राजेन्द्र सिंह निवासिनी विजयपुर की कोठी, मीरजापुर जो कि प्रापर्टी डीलिंग कार्य करती थी, की रात में हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिए गये प्रार्थना पत्र पर थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-366/2016 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी श्रीधर पाल, विवेचक-निरीक्षक डी0पी0शुक्ला, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी आशुतोष कुमार चन्द्र तथा पैरोकार-आरक्षी सोनू राव व गणेश प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी कर समस्त साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः21.04.2026 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,कक्ष सं0-01(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)मीरजापुर-शबीह जेहरा द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.दिलीप सिंह पटेल पुत्र वासुदेव सिंह पटेल निवासी बरईपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर व 2.शन्नू खाँ उर्फ शहनवाज खाँ पुत्र मुनीश खाँ निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302/34,380 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 60-60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
मीरजापुर पुलिस
ऑपरेशन
कन्विक्शन
थाना को0शहर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाये जा रहे अभियान #OperationConviction के तहत थाना को0शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-366/2016 धारा 302/34,380 भादवि की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक:21.04.2026 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,कक्ष सं0-01(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)मीरजापुर-शबीह जेहरा द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.दिलीप सिंह पटेल पुत्र वासुदेव सिंह पटेल निवासी बरईपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर व 2.शब्बू खाँ उर्फ शहनवाज खाँ पुत्र मुनीश खाँ निवासी चितावनपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास व ₹60-60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
लोक अभियोजक
एडीजीसी श्रीधर पाल
विवेचक
निरीक्षक- डी0पी0शुक्ला
पैरोकार
आरक्षी- सोनू राव
आरक्षी- गणेश प्रसाद
कोर्ट मोहर्रिर
आरक्षी- आशुतोष कुमार चन्द्र
@mirzapurpolice
Mirzapur Police
mirzapur.police

****